भीम

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान–302005

क्रमांकः एफ 25(75)/पार्ट–I/परि/कम्प्यू/2016/18374 जयपुर,दिनांकः 8/10/21

कार्यालय आदेश संख्या ..17../2021

विभाग के नव सृजित/क्रमोन्नत जिला परिवहन कार्यालयों एवं उप परिवहन कार्यालयों में कार्य संचालन प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में इन कार्यालयो से वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक लाईसेंस स्मार्ट कार्ड पर जारी करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. जिला परिवहन कार्यालय, पीपाड शहर, सुमेरपुर एवं खेतड़ी में RSWAN/RAJNET के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होने के कारण इन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग का कार्य सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जावेगा। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा NICSI को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

2. शेष नव सृजित जिला/उप परिवहन कार्यालयों द्वारा जारी वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक लाईसेंस के स्मार्ट कार्ड प्रिंट किये जाने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	स्मार्ट कार्ड प्रिंट करने वाले कार्यालय का नाम
1	जिला परिवहन कार्यालय, पोकरण	जिला परिवहन कार्यालय, जैसलमेर
2	जिला परिवहन कार्यालय, सादुलशहर	जिला परिवहन कार्यालय, श्री गंगानगर
3	उप परिवहन कार्यालय, कामां	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुर
4	उप परिवहन कार्यालय, चाकसू	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर (झालाना डूंगरी)
5	उप परिवहन कार्यालय, खाजूवाला	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर
6	उप परिवहन कार्यालय, रावतभाटा	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ
7	उप परिवहन कार्यालय, जैतारण	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली
8	उप परिवहन कार्यालय, कुचामन सिटी	जिला परिवहन कार्यालय, डीडवाना

3. स्मार्ट कार्ड प्रिंट किये जाने वाले कार्यालयों द्वारा प्रिंट किये गये स्मार्ट कार्ड का KMS भी किया जावेगा एवं इनके वितरण की व्यवस्था संबंधित दोनों कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों द्वारा निर्धारित की जावेगी।

Scanned with CamScanner

4. उपरोक्त कार्यालयों में RSWAN/RAJNET के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होने के पश्चात स्मार्ट कार्ड प्रिंटिंग का कार्य कार्यालय परिसरों में प्रारंभ करवाने की कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जाये।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25(75)/पार्ट–I/परि/कम्प्यू/2016/18375-84 जयपुर,दिनांकः 8/10/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, राजस्थान।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. तकनीकी निदेशक, NIC को प्रेषित कर लेख है कि जिला परिवहन कार्यालय, पीपाड शहर, सुमेरपुर एवं खेतड़ी में स्मार्ट कार्ड KMS किये जाने एवं उपरोक्तानुसार व्यवस्थाऐं प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार व्यवस्थाऐं प्रभावी किया जाना एवं शेष समस्त जिला/उप परिवहन कार्यालयों में RSWAN/RAJNET के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. संबंधित प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, ...।
8. जिला परिवहन अधिकारी, पीपाड शहर, सुमेरपुर एवं खेतड़ी को प्रेषित कर लेख है कि अपने कार्यालयों से जारी होने वाले स्मार्ट कार्ड के KMS के लिए मुख्यालय से अथॉरिटी कार्ड जारी करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177,website : www.transport.rajasthan.gov.in, e-mail- transport@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner